FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मनोहरलाल बनाम मानसिंह वगै0

किस्म मुकदमा अपील (75) CR ACT मु. नं. 30 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/634

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-10-2024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर अपील पेश हुई। अपीलान्ट की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट उपस्थित। अपील (75) दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक **12.11.2024** को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	
12/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 15/1/25 को पेश हो।	
15/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/2/25 को पेश हो।	
27/2/28	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/6/25 को पेश हो।	
23/6	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 29/7/25 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

29/07/2025

वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पोंडेन्टस सं० 3 व 5 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनु०। अत: रेस्पोंडेन्टस सं० 3 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वास्ते तामील शेष रेस्पोंडेन्टस मिसल दिनांक 29/08/2025 को पेश हो।

29/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब अन्य कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 7/10/25 को पेश हों।

No objection

07/10/2025

(पुष्पेन्द्र मीणा) एड.

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से श्री पुष्पेन्द्र मीणा एड0 ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 4 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी हैं। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट सं0 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08.08.2023 बाबत नामान्तरकरण संख्या 323 ग्राम कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:50
Reason: SelfAttested

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर गौर मनन किया गया। चूंकि अपीलान्ट के पिता श्री ... श्रीकिशन का देहान्त होने पर विरासत के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण भरा गया हैं उक्त विवादित नामान्तरकरण में अपीलान्ट की बहनों को भी विधिक वारिसान मानते हुए नामान्तरकरण भरा गया हैं। अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति (मीणा) का सदस्य हैं जिनकी पैत्रिक सम्पतियां

विरासत के आधार पर पुत्र सन्तानों के नाम ही दर्ज होती हैं। किन्तु रेस्पो. सं0 1 ने रेस्पो. सं0 2 ता 4 से साजिश कर विरासत के आधार पर विधि विरूद्ध रूप से खातेदारी दर्ज कराने की अनुचित कार्यवाही की हैं। जिस कारण विधि विरूद्व विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं।

अतः नामान्तरकरण संख्या 323 ग्राम पंचायत कुरबड़ा दिनांक 08.08.2023 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 323 ग्राम कुरबड़ा दिनांक 08.08.2023 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested